

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक- /04/2025

समाज कल्याण निदेशालय पत्रांक-2653 दिनांक-20.12.2024 के द्वारा समाज कल्याण निदेशालय से संबंधित न्यायिक मामले में प्रतिशपथ-पत्र / कारण पृच्छा दायर किये जाने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए देय पारिश्रमिक के आधार पर अधिवक्ताओं के चयन हेतु निदेशालय के द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से इच्छित अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किया गया।

उक्त के आलोक में कुल 54 अधिवक्ताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन के आधार पर सुयोग्य अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करने तथा प्राप्त आवेदनों/कागजातों की जाँच हेतु निदेशालय आदेश सं० 933 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा त्रि-सदस्यीय समितियों का गठन किया गया है।

अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदनों / कागजातों तथा Drafting Skill की जाँच की कार्यवाही समिति द्वारा दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से सक्षम सभागार, अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना में की जायेगी।

आवेदित अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि उपरोक्त अंकित तिथि को निर्धारित समय पर त्रि-सदस्यीय समिति के समक्ष मूल शैक्षणिक / अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

16.04.25
निदेशक

समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/कोर्ट-21/2018- 934

पटना, दिनांक- 16-04-2025

प्रतिलिपि:- 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, लिपिक, आगत निर्गत शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को संबंधित अधिवक्ताओं को ई-मेल/दूरभाष से सूचित करने हेतु।

2. श्री राकेश रंजन, सहायक निदेशक (विधि शाखा), समाज कल्याण निदेशालय सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उक्त तिथि को सक्षम सभागार को किसी अन्य को न आवंटित की जाय।

16.04.25
निदेशक

समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/कोर्ट-21/2018-934

पटना, दिनांक-16-04-2025

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आशयक कार्यार्थ प्रेषित।

16-04-25

निदेशक

समाज कल्याण।